



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श10)  
(सं0 पटना 694) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 अगस्त 2021

एस० ओ० 128, दिनांक 17 अगस्त 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 197 दिनांक 17 दिसंबर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 957 दिनांक 17 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 111 दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 268 दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए, अधिनियम की धारा 125 के तहत किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय दंड की राशि को 1 दिसंबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021की अवधि के लिए माफ किया जाता है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 1582 )]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**17 अगस्त 2021**

एस० ओ० 128, दिनांक 17 अगस्त 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 1582)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**17th August 2021**

S.O. 128, Dated 17th August 2021—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 197 dated the 17<sup>th</sup> December, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 957 dated the 17<sup>th</sup> December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of notification No. S.O. 111 dated the 6<sup>th</sup> May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 268 dated the 6<sup>th</sup> May, 2020, between the period from the 1<sup>st</sup> day of December, 2020 to the 30<sup>th</sup> day of September, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11)1582)]  
By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 694-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>